न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 109 / 2020 अन्तर्गत धारा 183, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. दीपक खत्री पुत्र मुरलीधर 2. मुरलीधर पुत्र विरधीचंद 3. भवानी देवी पत्नी मुरलीधर जाति खत्री, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. माणकाराम पुत्र पारूराम 2. किसनाराम पुत्र पारूराम 3. तगाराम पुत्र धनाराम 4. कानाराम पुत्र धनाराम 5. ज्वारी पत्नी धनाराम 6. शैतानराम पुत्र छोगाराम 7. ढेलीदेवी पत्नी छोगाराम जाति माली, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाडमेर

उपस्थित :– वादीगण अधिवक्ता – श्री जेठाराम कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 30.04.2026

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी के खेत मौजा शिव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1361 / 334, 1411 / 334, 334 रकबा क्रमशः 3.00, 2.00, 1.10 बीघा के आये हुए है। जिस पर वादीगण का निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। वादी की उक्त आराजी के सेढा सेढ ही प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि आयी हुई। उक्त सेढा को लेकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हर समय विवाद रहता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा कर चीणों के टुकड़े व तारबंदी करके अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वादीगण के शांतिप्रिय एवं ग्रामीण होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण, वादीगण की खातेदारी भूमि में पक्के मकान हेतु मेटेरियल बजरी, पत्थर की टोलियां, चीणें आदि डालकर अतिक्रमण कर अपना कब्जा पुख्ता करने पर आमादा है। वादीगण द्वारा जब प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना किया तो इससे प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी मे जबरदस्ती व बलपूर्वक प्रवेश कर उसे बेदखल करने की धमकियां दी गई। वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर वादीगण की खातेदारी में से कब्जा हटाने से इंकार कर दिया गया है, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त विवादित आराजी के वादीगण रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। अतः वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में किये गये जबरन अतिक्रमण को हटाया जाकर उन्हे बेदखल करते हुए विवादित आराजी का कब्जा वादीगण को दिलवाने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार शिव से मौका एवं रेकर्ड के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द अनुसार वादग्रस्त आराजी के वर्तमान खसरा नम्बर 1749 / 334, 1412 / 1411, 1361 / 334 (तत्समय खसरा नम्बर 334, 1361 [illegible] 1 / 334) रकबा क्रमशः 0.1794, 0.2428, 0.4856 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश [illegible] फर्द के संलग्न नक्शे में बिन्दु संख्या बिन्दु संख्या ए से बी की [illegible] भूमि पर पडौसी खसरा नम्बर 321 के खातेदारान् का कब्जा किया हुआ होना पाया गया है। वादी साक्ष्य में साक्ष्य [illegible] वादी संख्या 1 द्वारा अपना बयान शपथ पत्र पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:58:34 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर वादीगण की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण को जब्त करते हुए कब्जा वादीगण को दिलवाने जाने का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण को हटाकर मौके पर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलवाने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द अनुसार वादग्रस्त आराजी के वर्तमान खसरा नम्बर 1749/334, 1412/1411, 1361/334 (तत्समय खसरा नम्बर 334, 1361/334, 1411/334) रकबा क्रमशः 0.1794, 0.2428, 0.4856 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश की जाकर बिन्दु कायम किये गये। मौका फर्द के संलग्न नक्शे में बिन्दु संख्या बिन्दु संख्या ए से बी की माठ पर 05 गट्ठा भूमि पर पड़ौसी खसरा नम्बर 321 के खातेदारान् का कब्जा किया हुआ होना साबित है। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुस्थित रहे है। वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश कर वादीगण के खातेदारी खेत से प्रतिवादीगण का कब्जा व अतिक्रमण हटाने के लिए निवेदन किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण व कब्जा किया हुआ साबित होने पर वादीगण अपनी खातेदारी भूमि से अतिक्रमण व कब्जा हटाने के विधिक अधिकारी होने से वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा शिव, तहसील शिव के वर्तमान खसरा नम्बर 1749/334, 1412/1411, 1361/334 (तत्समय खसरा नम्बर 334, 1361/334, 1411/334) रकबा क्रमशः 0.1794, 0.2428, 0.4856 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश हेतु राजस्व टीम का गठन कर पैमाईश करने हेतु तहसीलदार शिव को निर्देशित किया जाता है, साथ ही विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का अतिक्रमण व कब्जा पाया जाने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाया जाकर बेदखली की कार्यवाही करते हुए कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। आवश्यकता होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त की जावें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव
सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव
सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:58:34 IST
Reason: SelfAttested